प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–15.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **14 वाहनों से मु0– 3200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 27 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 05 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 70 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बजरंगी पुत्र माता प्रसाद नि0 राधे पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–376/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामचन्द्र पुत्र मुन्ना लाल नि0 उमरिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–144/19, 02. घनश्याम निषाद पुत्र सरजू निषाद नि0 मल्लाहन पुरवा थाना नवाबगंज के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–145/19, 03. राधेश्याम निषाद पुत्र विश्राम नि0 मल्लाहन पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–146/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विवेक पुत्र कपिल देव सिंह नि0 मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–186/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.05.2019

थाना तरबगंज व पीआरवी की तत्परता से कटने से बचे गौवंश, ट्रक बरामद–

दिनांक 14/15.05.2019 की मध्य रात्रि को पीआरवी 0881 को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर बिना नं0 के एक ट्रक में गौवंशीय पशु लाद कर काटने हेतु उमरीबेगमगंज बन्धे से अमदही होते हुए तरबगंज की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल मौके पर पहुँचकर उस ट्रक का पीछा कर ट्रक को रोकने का प्रयास किया परन्तु ट्रक चालक ट्रक को तेज भगाते हुए थाना तरबगंज क्षेत्र की ओर जाने लगा जिसपर पीआरवी द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक तरबगंज को इस घटना के बारे में सूचित किया जिसपर प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के साथ तत्परता दिखाते हुए घाचा बीकापुर बन्धे पर जाकर घेरा बन्दी की जिसपर ट्रक चालक अपने को फसता देखकर अन्धेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस द्वारा ट्रक को कब्जे में लेकर 10 गौवंशीय पशु बरामद किये। थाना तरबगंज इस सन्दर्भ में मु0अ0सं0– 117/19, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर ट्रक चालक की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. पिन्टू पुत्र सरवशलाल निवासी भट्पुरवा मौजा देवापसिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

02. मु0अ0सं0–113/19, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 600 ग्राम नाजायज गांजा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 15.05.2019 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह के साथ रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में रवाना थे कि मझउवॉ चौराहे पुलिया में एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिक लडकी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त– गुड्डू उर्फ चाइनीज पुत्र अज्ञात को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–310/19 धारा–363.366.376 भा0द0वि0, 3/4 पाक्सो ऐक्ट व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त पर दिनांक 22.04.2019 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में लड़की की माता द्वारा थाना को0 नगर पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को जयनारायन चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.05.2019

पेट्रोल डालकर युवक को जलाने का प्रयास करने वाले सभी अभियुक्त मात्र 02 घण्टे में गिरफ्तार, टैंकर भी बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. इमरान पुत्र शमशाद निवासी खोरहंसा को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मास्टर उर्फ रमजान पुत्र खलील निवासी चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. तुफैल पुत्र लिल्लाही निवासी चिस्तीपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–156/19, धारा 323.504.307 भादवि व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. पेट्रोल टैंकर नं0 यू0पी0 32 एच0एन0 7406

संक्षिप्त विवरण–

कल दिनांक 14.05.2019 को रात्रि लगभग 21:00 बजे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के ऊपर प्रेट्रोल डालकर जलाने की घटना घटित हुई थी। उक्त घटना में विष्णु गोस्वामी पुत्र रामगीर गोस्वामी निवासी मुगल जोत थाना कोतवाली देहात अपने पिता को मार–पीट रहा था। मारपीट के दौरान अभियुक्त इमरान, तुफैल व अन्य द्वारा उसे मारने–पीटने से रोके जाने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों में तत्कालिक विवाद उत्पन्न हो गया। जिसमें इमरान व सहअभियुक्तों ने मिलकर पास खड़े टैंकर से पेट्रोल निकाल कर विष्णु गोस्वामी के ऊपर फेंककर जलाने का प्रयास किया जिससे वह झुलस गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा 04 टीमें बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगायी। स्वाट व सर्विलांस टीम को भी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण के फलस्वरूप उक्त घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए अथक प्रयास कर मात्र 02 घण्टे में घटना से सम्बन्धित सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की तथा टैंकर नं0 यू0पी0 32 एच0एन0 7406 को बरामद किया। घायल विष्णु गोस्वामी को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कराकर बेहतर उपचार के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त वाहन के माध्यम से एक उपनिरीक्षक व दो आरक्षी के साथ घायल के परिवारजन सहित केजीएमयू लखनऊ भेज दिया गया है। अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक को0 देहात राजनाथ सिंह।
02. उ0नि0 विनय कुमार।
03. उ0नि0 घीसूराम।
04. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह।
05. का0 अनन्त प्रकाश शुक्ला।
06. का0 अयोध्या प्रजापति।
07. का0 कमल सिंह।
08. का0 मदन किशोर।
09. का0 अतुल मिश्रा।
10. का0 संतोष।
11. का0 अनुराग।